न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 02.01.2019

राज्य सरकार जरिये श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

–प्रार्थी

बनाम

श्री दिनेश कुम्हार पिता कालूराम शीतला माता चौक, वार्ड नं. 1, चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षी

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थिति : 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2–श्री रमेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 27.08.2019

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.2018 को जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को शीतला माता चौक, चंदेरिया में घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशों की पालना में गठित जांच दल द्वारा मौके पर पहुंच जांच की गई, मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसने पूछताछ में अपना नाम श्री दिनेश कुम्हार बताया तथा गाडी में गैस भरने संबंधी पूछताछ करने पर गाडी में गैस भरने का कार्य करना स्वीकार किया। मौके पर श्री दिनेश कुम्हार के साथ उसके घर का निरीक्षण करने पर एल. पी. जी. गैस के भरे हुए 14.2 कि.ग्रा. के कुल 31 घरेलू गैस सिलेण्डर, 19 कि. ग्रा. के कुल 4 व्यवसायिक सिलेण्डर व 5 कि. ग्रा. के कुल 4 सिलेण्डर तथा 3 मोटर मय पाईप रेगुलेटर व निप्पल पाये गये। उक्त गैस सिलेण्डर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किए। मौके पर गायत्री गैस सर्विस चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधि को बुलाकर उनके प्रमाणित साल्टर हैंगिंग स्कैल से सिलेण्डरों

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

में भरी गैस का तौल करवाया गया तो उक्त सभी सिलेण्डरों मे कुल 384.4 कि. ग्रा. गैस भरी हुई पाई गई। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाने से एल. पी. जी. गैस से भरे हुए 14.2 कि. ग्रा. के कुल 31 सिलेण्डर, 19 कि. ग्रा. के कुल 4 व्यवसायिक सिलेण्डर व 5 कि. ग्रा. के कुल 4 सिलेण्डर मय गैस 384.4 कि. ग्रा. एवं 3 मोटर मय पाईप रेगुलेटर व निप्पल को जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब प्रस्तुत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 15.09.2018 को विपक्षी के घर पर जांच करने पर विपक्षी के घर में 14.2 कि. ग्रा. के कुल 31 घरेलू सिलेण्डर, 19 कि. ग्रा. के कुल 4 व्यवसायिक सिलेण्डर व 5 कि. ग्रा. के कुल 4 सिलेण्डर मय गैस 384.4 कि. ग्रा. एवं 3 मोटर मय पाईप रेगुलेटर व निप्पल अनाधिकृत पाए गए एवं विपक्षी द्वारा उनसे गाडियों में गैस भरना बताया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर (14.20 कि.ग्रा.) का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस, 3 मोटर मय पाईप रेगुलेटर व निप्पल आदि राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में जब्त सामग्री उत्तरदाता के घर से जब्त करना बताया है वह सरासर गलत है जिस जगह से सामग्री जब्त की गई वह मकान उत्तरदाता का नहीं है तथा वक्त जब्ती कार्यवाही उत्तरदाता के मकान संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये तथा न ही उत्तरदाता के मकान संबंधित दस्तावेज व मालिकाना हक संबंधी जानकारी उत्तरदाता के आस-पडौस से प्राप्त की गई। उत्तरदाता के आस-पडौस में दो तीन विवाह कार्यक्रम होने से उनके द्वारा गैस सिलेण्डर मंगवाये गये जो बाहर रखे थे जिन्हें जब्त किया गया है बल्कि वास्तविकता में उक्त जब्तशुदा सामग्री उत्तरदाता की नहीं थी तथा उत्तरदाता को नाजायज जलील व परेशान करने की

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियत से उक्त सूचना पत्र जारी किया जो सरासर गलत है। अतः कार्यवाही खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण का गहनता से अवलोकन किया। जांच दल द्वारा विपक्षी के घर का निरीक्षण करने पर विपक्षी के घर पर घरेलू श्रेणी के 14.2 कि. ग्रा. के 31 गैस सिलेण्डर, 19 कि. ग्रा. के 4 व्यवसायिक सिलेण्डर, 5 कि. ग्रा. के 4 सिलेण्डर तथा 3 मोटर मय पाईप रेगुलेटर व निप्पल अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा उक्त गैस सिलेण्डर के वैध दस्तावेज मांगने पर विपक्षी द्वारा उक्त सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए तथा उक्त गैस सिलेण्डरों से गाडियों में गैस भरना स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपने घर पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। अतः जब्त शुदा एल. पी. जी. गैस के घरेलू श्रेणी के 14.2 कि. ग्रा. के 31 गैस सिलेण्डर, 19 कि. ग्रा. के 4 गैस सिलेण्डर तथा 5 कि. ग्रा. के 4 गैस सिलेण्डर मय गैस, 3 मोटर मय पाईप रेगुलेटर एवं निप्पल राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्त शुदा घरेलू श्रेणी के 14.2 कि. ग्रा. के 31 गैस सिलेण्डर, 19 कि. ग्रा. के 4 गैस सिलेण्डर तथा 5 कि. ग्रा. के 4 गैस सिलेण्डर मय गैस, 3 मोटर मय पाईप रेगुलेटर एवं निप्पल राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों मय अन्य सामग्री के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official